N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0252 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 26/09/2025 20:55 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	308(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/09/2025 **Date To (दिनांक तक):** 25/09/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:30 बजे **Time To (समय तक):** 17:30 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/09/2025 **Time (समय):** 16:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 26/09/2025 20:55:46 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 15 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** OFFICE, RINKU TREDERS KASBA, TAPUKADA, KHAIRTHAL TIJARA

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ABBAS

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ISAB

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	PALASALI, TIJARA, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	PALASALI, TIJARA, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	POONAM CHOUDHARY			1. PRAVERTAN NIRIKSHAK, KHAIRTHAL TIJARA,खैरथल-तिजारा,RAJASTHAN,INDIA
2	RINKU		पिता:SATISH KUMAR	1. TAPUKADA,खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	30000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा	30,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि दिनांक 18.09.2025 को समय करीब 01.30 पीएम पर परिवादी श्री अब्बास पुत्र श्री ईसब उम्र 34 वर्ष जाति मेव निवासी ग्राम पलासली, तहसील तिजारा जिला खैरथल तिजारा ने कार्यालय में उपस्थित होकर मन उप अधीक्षक पुलिस को एक लिखित रिपोर्ट पेश की। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो लिखित रिपोर्ट इस आशय की पाई गई कि मै वर्तमान में मुझे राज्य सरकार द्वारा सन् 2023 में आवंटित राशन की दुकान का संचालन करता हूं, जो ग्राम पंचायत हसनपुर माफी में आती है। उक्त दुकान पर मै मेरे गॉव के उपभोगताओं को राशन का वितरण करता हूं। पिछले कुछ दिन पूर्व करीब 30 राशन कार्ड धारी जो पात्र नही है को काटने हेतु श्रीमती पूनम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक ने मेरे से उनके नाम मांगे थे, जिस पर मैने 18 राशन कार्ड धारी जो पात्र नही थे उनके नाम प्रर्वतन निरीक्षक को दिये तो डीएसओं कार्यालय से उनका राशन से नाम कट गया। जिन कार्ड धारियों के नाम कटे थे उन्होने मेरी शिकायत कर दी। उक्त शिकायत की जॉच एंव दुकान का निरीक्षण करने कुछ दिन पूर्व श्रीमती पूनम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक मेरी दुकान पर आई और मेरी दुकान का निरीक्षण किया तो मेरी दुकान का रिकॉर्ड सही पाया गया। इसके बाद उन्होने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट पर मेरे हस्ताक्षर करवाये। इसके बाद दिनांक 12.09.2025 को उन्होने मुझे टपूकडा में श्री रिंकू सेठ की दुकान पर बुलाया और मुझे कहा कि आपकी दुकान में काफी घपला है और मुझे धमकी दी कि आप 50 हजार रूपये दो नही तो मै आपकी दुकान का लाईसेन्स निलम्बित कर कार्यवाही करूगी। मैने उनसे काफी विनती की, लेकिन वह नही मानी और मुझे कहा कि उक्त रूपये रिंकू सेठ को दे देना। इसके बाद उसका दलाल रिंकू सेठ व मैडम मुझे पैसों के लिए मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर वाट्सअप कॉल कर परेशान करने लगे। रिश्वत के सम्बन्ध में मैडम अपने दलाल रिंकू सेठ से वार्ता करती है और फिर दलाल रिंकू सेठ मुझे वाट्सअप काल करता है। मै मेरे जायज काम के लिए उन दोनों को रिश्वत नही देना चाहता हूं बल्कि उन दोनों को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी उन दोनों से कोई रंजिष, दुश्मनी व उधार का लेन देन बाकि नही है। आप मेरी कानूनी कार्यवाही करने की कृप्या करे। परिवादी द्वारा लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने उक्त लिखित रिपोर्ट अपनी हस्तलिखित होना एवं उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना ताईद करते हुये बताया कि श्रीमती पूनम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक व उसके दलाल श्री रिंकू सेठ से मेरी रिश्वत के सम्बन्ध में वाट्सअप कॉल पर हुई वार्ता के कालों से सम्बन्ध मै मेरे मोबाईल से स्क्रीन शॉट निकालकर आपको पेश कर दुगॅा। परिवादी की लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत के लेन-देन का का पाये जाने पर परिवादी को मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने बाबत बताया गया तो परिवादी ने बताया कि साहब मै श्रीमती पूनम चौधरी प्रवर्तन अधिकारी व उसके दलाल श्री रिकूं का पता कर लेता हूं फिर मांग सत्सापन की कार्यवाही करवा दुंगा। कुछ समय बाद परिवादी ने अपने मिलने वालों से उनका पता कर बताया कि साहब वे दोनों ही उपस्थित नही है, इसलिए मांग सत्यापन की कार्यवाही नही हो पायेगी, उनका रिश्वत राशी के लिए मेरे पास फोन आयेगा तब मै कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊगा। परिवादी की बातों को सही मानते परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 23.09.2025 को समय करीब 11.00 एएम पर परिवादी श्री अब्बास कार्यालय में उपस्थित आया एंव मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि साहब श्रीमती पूनम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक का रिश्वत राशी बाबत मेरे मोबाईल पर वाट्सअप कॉल आया और मुझे कहा कि आज या तो रिंकू सेठ से मिलकर उनको काम कर देना नही तो मै आपका लाईसेन्स निलम्बित कर दुगी तथा वह मेरे से रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता नही कर अपने दलाल श्री रिंकू सेठ से ही वार्ता करती है। उनके कहने पर ही रिंकू सेठ ने मुझे अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से दिनांक 22.09.2025 को सममय 09.28 एएम पर मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर गाली ग्लोच कर रिश्वत राशी देने के लिए कहा तथा नही देने पर मैडम से कार्यवाही करवाने के लिए धमकी दी, मैने उनसे काफी विनती की तो उन्होन मुझे आज अपनी दुकान/ऑफिस टपूकडा पर बुलाया है। इस पर परिवादी श्री अब्बास का परिचय श्री शहरून कानि0 175 से करवाया जाकर गोपनीय मांग सत्यापन हेतु कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर मैक सोनी निकालकर परिवादी श्री अब्बास को उसे चलाने व बन्द करने की विधि समझाकर व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में नया एसडी कार्ड सैनडिस्क 16 जीबी लगाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के सभी फोल्डर व एसडी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर वाईस रिकॉर्डर जरिये फर्द श्री शहरून कानि0 175 को सुपुर्द कर आरोपीगण से मांग सत्यापन करवाने हेतु परिवादी के द्वारा बताये गये स्थान

टपूकडा के लिए रवाना किया गया। समय करीब 05.30 पीएम पर श्री शहरून कानि. नं. 175 मय परिवादी श्री अब्बास के रवाना शुदा बाद गोपनीय मांग सत्यापन के टपूकडा से उपस्थित कार्यालय आया। श्री शहरून कानि0 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द शुदा विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर पेश किया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि साहब मै और आपका कानि0 श्री शहरून आपके कार्यालय से रवाना हुये तो कुछ दूरी पर ही मैडम का मेरे मोबाईल पर वाट्सअप कॉल आया, जिसको मै रिकॉर्ड नही कर पाया फिर मैने अपने मोबाईल से उनके मोबाईल पा वाट्सअप कॉल वार्ता की गई और उनसे हुई वार्ता को वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात वहा से रवाना होकर गोपाली चौक टपूकडा में स्थित श्री रिंकू सेठ की दुकान/ऑफिस के नजदीक पहुंचे। इसके बाद श्री शहरून ने मुझे वाईस रिकॉर्ड चालूकर दिया। इसके बाद मै तो श्री रिकूं सेठ की दुकान/ऑफिस में चला गया तथा श्री शहरून उस दुकान के बाहर ही खडा हो गया। मै रिकूं सेठ की ऑफिस में गया तो मुझे श्री रिकूं सेठ अपनी ऑफिस में कुर्सी पर बैठा हुआ मिला तथा उसके पास दो आदमी और बैठे हुये थे तथा श्रीमती पूनम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक वहां नही मिली। इसके बाद मै मेरे काम बाबत श्री रिकूं सेठ से बात कि तो उन्होने मुझे कहा कि आ भई, तो मैने कहा मैडम का भी फोन आया था। इस पर उन्होने मुझे गाली ग्लोच कर कहा कि मुझे तू चालीस हजार रूपये दे, और आज के बाद मेरे को दूबारा काम के लिए मत कहना, तूने मेरे को 20 तारीख को पैसे लेकर आने के लिए कहा था, मै अधिकारी की क्यो सूनो। फिर मैने उनको कहा कि सेठ जी हमने तो आपसे ही सारा काम कराया है। मै तीस हजार की कहरो सेठ जी, तब रिकूं सेठ ने कहा कि मैने तेरे सामने ही कह दी थी। इस पर मैने कहा कि अब 40 हजार में करदी, तब रिकूं सेठ ने कहा कि मैडम को मैने 40 हजार में कर दिया। इस पर मैने उनको कहा कि सेठ जी 20 एक को तो होगो जुगाड, तब उन्होने कहा कि 40 हजार चाहिए मुझे। इसके बाद उन्होने कहा कि कल 11 बजे तक आ गया तो ठीक है नही तो तेरे 20 हजार रूपये भी जब्त हो जायेगें। इस पर मैने उनको कहा कि मै 10 ही लाया हूं अब फिर उन्होने मेरे से 10 हजार रूपये ले लिये और बाकि के 30 हजार रूपये सुबह 11 बजे तक लाने के लिए कहा। इस पर मैने उनको कहा कि सेठ जी 30 में करवादो, तो उसने कहा कि 30 में करवादे वह 40 में भी नही मान रही, सुबह 11 बजे 30 हजार दे जायो, इस पर मैने कहा कि साहब थोडा बहुत लेट हो जाये तो, तब उन्होने कहा कि 12 बजे तक लियायों। मैने उससे हुई सभी बातों को वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड कर लिया। इसके बाद मै वहा से रवाना होकर श्री शहरून के पास आया और उनको वाईस रिकॉर्डर निकालकर दिया, जिन्होने बन्द कर अपने कब्जे में लिया। तत्पश्चात मैने उनको ये सभी बाते बताई। इसके बाद विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर को सरसरी तौर पर चालू कर सूना गया तो उसमें आई वार्ता में संदिग्द आरोपी दलाल श्री रिंकू द्वारा परिवादी से उसकी राशन की दुकान का प्रवर्तन निरीक्षक पूनम चौधरी से लाईसेन्स निलम्बित नही करवाने व कार्यवाही नही करने की एवज में 40 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर 10 हजार रूपये मौके पर ही प्राप्त कर शेष रिश्वत राशी 30 हजार रूपये रिश्वत की और मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया। विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर को वापिस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। उक्त कार्यवाही की फर्द वापसी विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई एंव परिवादी को दिनांक 24.09.2025 को अग्रिम कार्यवाही कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद पूर्व के पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री बृजेश कुमार पिंगोलिया सहायक स्थल अभियन्ता कार्यालय वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक रीको भिवाडी-ईकाई प्रथम व श्री हरि सिंह वरिष्ठ सहायक कार्यालय वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक रीको भिवाडी-ईकाई प्रथम को जरिये दूरभाष कार्यालय में उपस्थित होने बाबत कहा गया तो दोनो गवाह कार्यालय में उपस्थित आये, जिनसे परिचय कर तलब करने पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 24.09.2025 को समय करीब 09.30 एएम पर परिवादी श्री अब्बास कार्यालय में उपस्थित आया, और मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि साहब श्रीमती पूनम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक का मैने मालूमात किया तो वह आज जयपुर जाना पाई गई है। इसलिए आज उनसे मांग सत्यापन की कार्यवाही नही होगी। वह जब भी आयेगी मै उसका मालूमात कर अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊगां। परिवादी की बातो को सही मानते हुये परिवादी को आरोपिया के उपस्थित होने की जानकारी कर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 25.09.2025 को समय 09.30 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस को श्री शहरून कानि0 175 ने बताया कि साहब मेरे पास परिवादी श्री अब्बास का मेरे मोबाईल पर वाट्सअप कॉल आया है और परिवादी ने मुझे बताया कि श्रीमती पूनम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक के दलाल श्री रिकूं सेठ का मेरे पास बार-बार रिश्वत राशी के लिए कॉल आ रहा है तथा कह रहा है कि मुझे आज मैडम को खैरथल में पैसे देने है। वह मुझे पैसे लेकर खैरथल बुलाई है। इसलिए मैडम के दलाल अनुसार मैडम खैरथल अपने कार्यालय में आ रही है। मुझे आपके कार्यालय में आने में समय लगेगा आप अपना वाईस रिकॉर्डर लेकर आ जावों मै आपको टपूकडा बस स्टेण्ड पर मिल जाऊगा एंव मांग के गोपनीय सत्यापन की कार्यवाही करवा दुंगा । इस पर श्री शहरून कानि0 175 को कार्यालय की आलमारी में दिनांक 23.09.2025 को दलाल रिकूं सेठ से हुये मांग सत्यापन का वाईस रिकॉर्डर जो सरसरी तौर पर चालूकर सूना जाकर वापिस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में रखा गया था, उक्त वाईस रिकॉर्डर आलमारी का लॉक खोलकर मय एसडी कार्ड के सुपर्द्र किया जाकर गोपनीय मांग सत्यापन हेतु बस स्टेण्ड टपूकडा के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीब 03.00 पीएम पर श्री शहरून कानि. नं. 175 मय परिवादी श्री अब्बास के बाद गोपनीय मांग

सत्यापन कस्बा खैरथल से उपस्थित कार्यालय आया। श्री शहरून कानि0 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द शुदा विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर पेश किया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि साहब आपका कानि0 श्री शहरून मुझे टपूकडा बस स्टेण्ड पर मिला, फिर हम दोनों वहा से रवाना होकर श्रीमती पूनम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक के कार्यालय रसद विभाग खैरथल के नजदीक पहुंचे। इसके बाद श्री शहरून ने मुझे वाईस रिकॉर्ड चालूकर दिया। इसके बाद मै तो मैडम के पास उसकी ऑफिस में चला गया तथा श्री शहरून उस ऑफिस के बाहर ही खडा हो गया। मै ऑफिस में गया तो मुझे मैडम अपने कार्यालय में कुर्सी पर बैठी हुई मिली, जिसको मैने नमस्कार कर कहा कि मैडम रिंकू ने ज्यादा जोर दे रखा है, सुबह-2 फोन कर दिया। इस पर मैडम ने कहा कि काम के लिए कर रहा होगा। इस पर मैने उनको कहा कि उनको दश हजार रूपये दे दिये, तब मैडम ने कहा कि मेरे को कुछ नही पता, रायता फैला रखा है, मुझे कुछ नही सुनना, अभी डीएसओ को बोल दुंगी तो मिनिट में सस्पैंड हो जाओगें। इस पर मैने कहा कि मैडम दो दिन के लिए बोल दो उनको, तब मैडम ने कहा कि उन राशन कार्डो का क्या हुआ। मेरा मन करता है आपको सस्पैंड कर दूं । तुम्हारी फाईल पर कलेक्टर साहब ने साईन नही किये है । मै आपसे कोई बात नही कंरूगी। इसके बाद मैं वहां से रवाना होकर श्री शहरून के पास आया और उनको वाईस रिकॉर्डर पेश किया तो उन्होने उसको बन्द कर अपने पास रख लिया। मैने मैडम से हुई सभी बातों को वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद हम दोनों वहां से रवाना होकर आपके कार्यालय में आये। परिवादी की बातों की ताईद श्री शहरून कानि. ने भी की। इसके बाद विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर को चालू कर सूना तो उसमें आई वार्ता में परिवादी द्वारा बताई गई बातो की पुष्टि होना पाया गया। विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर को वापिस बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात परिवादी श्री अब्बास को संदिग्ध आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वती राशि बाबत पूछा तो अपने पास होना बताया। इसके बाद समय करीब 03.05 पीएम पर पूर्व के पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री बृजेश कुमार पिंगोलिया सहायक स्थल अभियन्ता व श्री हरि सिंह वरिष्ठ सहायक को जरिये मोबाईल वाट्सअप कॉल सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही हेतु शीघ्र ही कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया तो कुछ समय बाद दोनो स्वतन्त्र गवाह कार्यालय में उपस्थित आये जिनसे कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही गई तो दोनों ने अपनी-अपनी स्वेच्छा से अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात दोनों गवाहान का परिवादी श्री अब्बास से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 18.09.2025 को पेश किये गये लिखित प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी के लिखित प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने अपना हस्त लिखित होना तथा उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना ताईद किया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर उसके लिखित प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद परिवादी तथा संदिग्ध आरोपी दलाल श्री रिंकू के व आरोपिया श्रीमती पूनम चौधरी के मध्य रिश्वत राशी मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में दिनांक 23.09.2025 को टेप किया गया था एंव फिर पुनः परिवादी तथा संदिग्ध आरोपिया श्रीमती पूनम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक के मध्य रिश्वत राशी मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में दिनांक 25.09.2025 को टेप किया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को दौनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के लैपटॉप की सहायता से सरसरी तौर पर चालूकर सुना गया। इसके बाद वापिस बन्द कर अपने कब्जे में रखा गया। तत्पश्चात समय करीब समय 03.30 पीएम दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अब्बास को संदिग्ध आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशी पेश करने बाबत कहा तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 60 नोट कुल 30,000/-रू0 निकाल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, जिसकी फर्द पेशकशी तैयार की गई । उपरोक्त पेश शुदा नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी मंगवाकर शीशी में से थोडा सा फिनोफ्थलीन पाऊडर एक साफ अखवार पर निकलवाकर परिवादी द्वारा पेश रिश्वती राशी 30,000/-रूपये के नम्बरी नोटो पर फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री अब्बास की जामा तलाशी गवाह श्री बृजेश कुमार पिंगोलिया, सहायक स्थल अभियन्ता से लिवाई गई तो परिवादी के पास बदन पर पहने हुये परिधान, मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद श्री नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त 30,000/-रूपये के नोटों को परिवादी श्री अब्बास की पहनी हुई पेन्ट की बाई जेब में रखवाये गये। परिवादी को समझाईस की गई कि अब वह इन पाऊडरयुक्त नोटो को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही उसे देवे तथा आरोपीगण उक्त नोटो को प्राप्त कर कहां पर रखते है, इसका पूरा-पूरा ध्यान रखे और आरोपीगण रिश्वत राशी प्राप्त करने के बाद कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर अपने मोबाईल फोन से कॉल/मिस कॉल कर रिश्वत स्वीकृति का ईशारा करें । दोनो स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि यथा सम्भव आप परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को सूनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवष्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद श्री सतीश कुमार हैड कानि. से एक साफ पारदर्शी प्लास्टिक डिसपोजल गिलास ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर उसे साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर ट्रेप बोक्स में से सोडियम कार्वोनेट पाऊडर

की शीशी को निकलवाकर गवाह बृजेश कुमार पिंगोलिया, सहायक स्थल अभियन्ता से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग साफ ही रहा। जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के अपरिवर्तित घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठें को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाहो तथा हाजरीन को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफथलीन पाऊडर की शीशी को उसका ढक्कन बंद करवाकर श्री नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से कार्यालय की अलमारी में रखवाई गईं तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीशी को ट्रेप बोक्स में सतीश कुमार हैडकानि के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से गिलास के धोवन को बाहरं फिकवाया गया और काम में लिये गये अखवार एवं पारदर्शी प्लास्टिक डिसपोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों को साबुन व पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों-कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को सतीश कुमार हैडकानि. से साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादी, श्री सतीश हैडकानि, एंव समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी श्री अब्बास को छोडकर दोनों गवाहान एवं ट्रैप पार्टी सदस्यो तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें दोनो गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा मन पुलिस उप अधीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी श्री अब्बास को रिश्वत लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वाईस रिकार्डर मय रिश्वती मांग सत्यापन के मेमौरी कार्ड लगे सहित चालू व बन्द करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया गया एंव श्री शहरून कानि0 को हिदायत दी गई कि परिवादी को आरोपी के पास भेजने से पूर्व डिजीटल वाईस रिकार्डर चालु कर सुपुर्द करे। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट एंव सुपुर्दगी डिजीटल टेपरिकार्डर पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय करीब 04.20 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने जरिये वाट्सअप कॉल श्री नरेन्द्र कुमार एएसआई एसीबी कार्यालय अलवर-प्रथम को मय स्टाफ सदस्य व महिला कानि0 के श्रीमती पूनम चौधरी, प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग खैरथल को दस्तयाब करने हेतु खैरथल पहुंचने तथा मेरे द्वारा ट्रेप कार्यवाही के बाद सूचना देने के पश्चात दस्तयाब करने के निर्देश दिये जाकर समय 04.30 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्टाफ सदस्य श्री साहिब सिंह एएसआई, महिला कानि0 श्रीमती मिनाक्षी, कानि0 श्री राजबीर सिंह, स्वतन्त्र गवाह श्री हरि सिंह व परिवादी श्री अब्बास के एक प्राईवेट वाहन से व स्टाफ सदस्य श्री झाबर सिंह हैड कानि न0 27, श्री सतीश कुमार हैड कानि0 11, श्री रवि कुमार कानि0 352, एंव स्वतन्त्र गवाह श्री बृजेश कुमार के सरकारी वाहन से मय ड्राईवर श्री इन्द्रजीत के वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के एसीबी कार्यालय भिवाडी से कस्बा टपूकडा में स्थित संदिग्ध आरोपी दलाल श्री रिंकू की दुकान/ऑफिस के लिए रवाना होकर समय करीब समय 05.15 पीएम पर मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा कस्बा टपूकडा में स्थित संदिग्ध आरोपी दलाल श्री रिंकू की दुकान/ऑफिस रिंकू ट्रेडर्स के नजदीक पहुंचा, जहां पर वाहनों को रोड पर एक साईड में खडा करवाया जाकर परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान एंव स्टाफ सदस्यो को दोनों वाहनो से नीचें उतारकर परिवादी को श्री शहरून कानि0 से विभागीय वाईस रिकार्डर चालू करवाकर दिलवाया जाकर मुनासिब हिदायत कर संदिग्ध आरोपी दलाल रिंकू के पास उसकी ऑफिस/दुकान के लिए रवाना किया गया एंव बाकि समस्त स्टाफ सदस्य परिवादी के पीछे-पीछे रवाना होकर उक्त दुकान/ऑफिस के आस पास अपनी-2 उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इंतजार करने लगे। तत्पश्चात समय 05.30 पी.एम. पर परिवादी श्री अब्बास पुत्र श्री ईसब उम्र 34 वर्ष जाति मेव निवासी ग्राम पलासली, तहसील तिजारा जिला खैरथल तिजारा ने मन उप अधीक्षक पुलिस को अपने मोबाईल नम्बर 9983033796 से मेरे मोबाईल नम्बर 8800511972 पर मिस कॉल कर निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी से सुपुर्दशुदा डिजिटल टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया जाकर कब्जे में लिया गया। तत्पष्चात् परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि साहब मैं अभी-अभी आपके निर्देषानुसार श्री रिंकू के पास उसकी दुकान/ऑफिस पर गया तो श्री रिंकू मुझे अपनी ऑफिस में कार्य करता हुआ मिला, जिसको मैने नमस्कार किया तब श्री रिंकू ने मुझे कहा कि आप मैडम के पास गये थे, तब मैने कहा कि हाँ गया था, तब श्री रिंकू ने मुझे कहा कि आप ज्यादा चालाक बन रहे हो, मेरे पास मैडम का फोन आया था, आपका लाईसेन्स निलम्बित कर देगी नही तो मै करवा दुंगा। इस पर मैने रिंकू को कहा कि साहब मेरे पास पैसे नही बने इसलिए मै 10 हजार रूपये मैडम से कम करवाने के लिए उनके पास गया था। इसके बाद मैने रिंकू को कहा कि साहब लो मै आपके तय शुदा पैसे लाया हूं आप मैडम को फोन करदो नही तो वह मेरा लाईसेन्स निलम्बित कर देगी। इसके बाद मैने श्री

रिंकू को अपनी पेन्ट की जेब से रिश्वती राशी 30 हजार रूपये निकालकर दिये तो उन्होने मेरे से अपने दाहिने हाथ में प्राप्त कर फिर दोनों हाथों से गिनकर अपने दाहिने हाथ में रख लिए। इसके बाद मैने मौका पाकर आपको मिस कॉल कर दिया। इसके बाद परिवादी ने अपने सामने गद्दे डले तख्त पर बैठे पेन्ट शर्ट पहने व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि साहब यही श्री रिंकू है, जिन्होने अभी-2 मेरे से श्रीमती पूनम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक रसद विभाग खैरथल तिजारा व अपने स्वंय के लिए मेरी उचित मूल्य दुकान का लाईसेन्स निलम्बित नही करने की एवज में अपनी तय शुदा रिश्वत राशी 30 हजार रूपये अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर गिनकर अपने दाहिने हाथ में रख लिए, जो अभी भी इनके दाहिने हाथ में ही रखे है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त पेन्ट शर्ट पहने हुए व्यक्ति को अपना, गवाहान व ब्यूरो स्टाफ का परिचय दिया जाकर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रिंकू पुत्र स्व0 श्री सतीश कुमार उम्र 36 वर्ष जाति महाजन निवासी कस्बा टपूकडा, तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा होना बताया। तत्पश्चात् श्री रिंकू दलाल को परिवादी श्री अब्बास से मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 23.09.2025 को 40,000/-रूपये रिश्वत की मांग कर 10,000 रूपये मौके पर ही प्राप्त कर 30,000 हजार रूपये की और मांग कर अपनी उक्त मांग के अनुशरण में आज दिनांक 25.09.2025 को वर वक्त ट्रेप कार्यवाही अपनी तय शुदा शेष 30,000 हजार रूपये परिवादी से मांग कर प्राप्त की गई रिश्वती राशि बाबत पूछा गया, तो आरोपी रिंकू दलाल ने बताया कि दिनांक 23.09.2025 को श्री अब्बास मेरे पास मेरी उक्त ऑफिस में आया था और अपनी उचित मूल्य की दुकान का लाईसेन्स श्रीमती पूनम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा निलम्बित करने बाबत वार्ता की थी, इस पर मैने अब्बास को कहा था कि मैडम को मै तेरे सामने ही 40 हजार की कह दी थी, आप 40 हजार रूपये दे दो। इस पर अब्बास मेरे को कुछ कम करने के लिए कहा था तो मैने इनको कहा कि मैडम 40 हजार से कम में नही मानेगी। इसके बाद इन्होने मेरे को 10,000 रूपये दिये तो मैने इनसे लेकर रख लिए तथा 30,000 रूपये इनको कल 11 बजे तक देने के लिए कहा। इसके बाद ये आज दिनांक को मेरी उक्त ऑफिस में आया और मेरे से अपनी उचित मूल्य दुकान के लाईसेन्स के बारे में वार्ता की तो मैने इनको कहा कि आप मैडम के पास गये थे, तब अब्बास ने कहा कि हाँ गया था, इस पर मैने कहा कि आप ज्यादा चालाक बन रहे हो, मैडम का मेरे पास फोन आया था और मुझे कहा था कि अब्बास मेरे पास आज ऑफिस में आया था। इसके बाद मैने अब्बास को कहा कि आपका लाईसेन्स निलम्बित कर देगी। तब अब्बास ने कहा कि मेरे पास पैसे नही बने इसलिए मै 10 हजार रूपये मैडम से कम कराने के लिए उनके पास गया था। इसके बाद अब्बास ने मुझे कहा कि लो मै आपके तय शुदा पैसे लाया हूं आप मैडम को फोन कर दो नही तो वह मेरा लाईसेन्स निलम्बित कर देगी। इसके बाद अब्बास ने अपनी पेन्ट की जेब से कुछ रूपये निकालकर मुझे दिये जिनको मैने अपने दाहिने हाथ में प्राप्त कर फिर दोनों हाथों से गिनकर अपने दाहिने हाथ में रख लिए जो मेरे दाहिने हाथ में ही है तथा अब्बास द्वारा दिनांक 23.09.2025 को मुझे दिये गये 10,000 रूपये भी मेरी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की बाई जेब में ही है, जो मै ये सभी 40,000 हजार रूपये श्रीमती पूनम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक को देता। मेरा इनसे कोई लेन देना नही है और मै ये रूपये भी पूनम चौधारी प्रवर्तन निरीक्षक के कहे अनुसार ही अब्बास से लिये है। जिनके लिए मैडम मुझे अपने मोबाईल से मेरे मोबाईल पर वाटफसअप कॉल कर उक्त रूपये लेने बाबत भी कहा था। इसी दरमियान मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री नरेन्द्र कुमार एएसआई को जरिये वाट्सअप कॉल कर आरोपिया श्रीमती पूनम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक को दस्तयाब करने हेतु निर्देष दिये गये। तत्पश्चात् आरोपी रिंकू के दाहिने हाथ में रखे रूपयो को गवाह श्री बृजेश कुमार पिंगोलिया के पास रखवाया गया। इसके बाद उक्त कमरे/ऑफिस के बाहर रखे पानी के कम्पर से एक प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो प्लास्टिक के साफ डिसपोजल गिलास निकलवाकर उक्त दोनों गिलासों में श्री सतीश कुमार हैड कानि0 द्वारा पानी भरवाकर कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में आरोपी दलाल श्री रिंकू के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियां/अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो दोनों ही हाथों की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे मौजूदगान ने देखकर गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो-दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1, R-2 व L-1, L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके बाद आरोपी दलाल रिंकू के हाथ में रखी रिश्वत राशी जो आरोपी की हाथ धुलाई कार्यवाही से पूर्व आरोपी के दाहिने हाथ से गवाह श्री बृजेश कुमार पिंगोलिया के पास रखवाई गई थी को दोनों गवाहान से गिनने व कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नंबरों से मिलान करने बाबत कहा, तो दोनों गवाहान ने गिनकर एंव उक्त बरामद शुदा नोटों के नंबरों का फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान कर दोनों के नम्बर एक समान होना बताया। बरामदशुदा नोटों को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली को सील मोहर कर संबंधितां के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके पश्चात् दलाल रिंकू से मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से 10,000/ रूपये प्राप्त की गई रिश्वत राशी पेश करने बाबत कहा गया तो आरोपी ने अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की बॉई जेब से निकालकर पेश किये। जिनको दोनों गवाहान से गिनने बाबत कहा तो दोनों गवाहान ने गिनकर 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/ रूपये होना बताया। जिसकी फर्द तैयार की गई । उक्त रिश्वती राशी के नोटों के नम्बरों का बरामदशुदा नोटों को एक सफेद कपडे की

थैली में रखकर थैली को सील मोहर कर संबंधितां के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पष्चात् परिवादी से प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर को चला कर सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपी दलाल श्री रिंकू के मध्य रिश्वत लेन-देन की वार्ता टेप होना पाई गई, जिसकी अलग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट व जब्ती एसडी कार्ड/पैनड्राईव तैयार की जावेगी। उक्त कार्यवाही की विभागीय कैमरे में नया एसडी कार्ड लगाकर श्री रवि कुमार कानि0 से विडियोंग्राफी करवाई गई । करवाई गई विडियोंग्राफी के मेमौरी कार्ड जब्ती व तैयार पेनड्राईव की फर्द पृथक से तैयार की जावेगी। परिवादी व आरोपी से आपसी रंजिश, दुष्मनी व उधार के लेन-देन बाबत पूछा तो दोनों ने ही इंकार किया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एंव बरामदगी रिश्वती राशी पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात मौके पर काफी भीड होने व हा-हल्ला होने के कारण कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने को मध्य नजर रखते हुये आरोपी दलाल श्री रिंकू को हमराह लेकर मय परिवादी व स्टाफ सदस्यों को वाहनों में बैठाकर मय साजो सामान के दुकान/ऑफिस आरोपी रिंकू से पुलिस थाना टपूकडा के लिये रवाना होकर पुलिस थाना टपूकडा पहुंचे। जहां पर थानाधिकारी के कक्ष में आरोपी दलाल श्री रिंकू. को बैठाया जाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर जिला रसद अधिकारी जिला खैरथल तिजारा को परिवादी से सम्बन्धित रिकॉर्ड पेश करने बाबत जरिये दूरभाष कहा गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अब्बास से आरोपी श्री रिकूं द्वारा 30,000/-रूपये रिश्वत राशी मांग कर प्राप्त करने पर परिवादी से निर्धारित ईशारा मिलने पर बरामदी रिश्वती राशी एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही शुरु करने से पूर्व डिजिटल कैमरे मे 32 जीबी सेनडिस्क मेमोरी कार्ड डालकर श्री रवि कुमार कानि से वीडियोग्राफी तैयार करवाई गई थी। उक्त डिजिटल कैमरे से मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को लेपटॉप मे कनेक्ट कर करवाई गई वीडियोग्राफी को लेपटॉप मे सेव करवाया जाकर ट्रेप बाक्स से तीन खाली पेनड्राईव 16 जीबी सेनडिस्क कम्पनी के निकलवाकर करवाई गई वीडियो ग्राफी के बारी-बारी से तैयार करवाये गये। तीनों पेन ड्राईव का लेपटॉप मे सेव वीडियोग्राफी से बारी-2 से मिलान किया गया तो मेमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी से मिलान होना पाया गया। पैन ड्राईव एवं वीडियोग्राफी में काम में लिये गये एसडी मेमौरी कार्ड की हैष वैल्यू लेपटॉप मे एफटी के इमैजर की सहायता से श्री रवि कुमार कानि0 से निकलवायी जाकर हैष वैल्यू का प्रिटं लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पेनड्राईव को पृथक पृथक प्लास्टिक की डिबियो मे रखकर डीबियो को पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क क्रमषः P-1, P-2, P-3 अंकित कर पेन ड्राईव मार्क P-1, P-2 को सील मोहर कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पेन डाईव मार्क P-3 को अनुसंधान हेतु खुली अवस्था मे रखा गया। मेमोरी कार्ड 32 जीबी को एक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर प्लास्टिक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क SD अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। जिसकी पृथक से फर्द तैयार करवाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद मन उप अधीक्षक पुलिस को श्री नरेन्द्र कुमार एएसआई एसीबी चौकी अलवर-प्रथम ने जरिये मोबाईल वाट्सअप कॉल श्रीमती पूनम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक, रसद विभाग खैरथल तिजारा को उनके कार्यालय खैरथल व कस्बा खैरथल में काफी स्थानों पर तलाश करने पर भी नही मिलने व कार्यवाही कि भनक लगने पर फरार होना बताया। तत्पश्चात आरोपी श्री रिंकू निवासी टपूकडा को जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 308(2) बीएनएस में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी के मोबाईल का किये गये कॉल वा चैट का स्क्रीन शॉट लिये जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया तथा मोबाईल को जरिये फर्द जब्त किया गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहन एवं परिवादी श्री अब्बास के समक्ष श्री अब्बास की आरोपिता श्रीमती पूनम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक एवं आरोपी श्री रिकूं पुत्र स्व0 सतीश कुमार गोयल उम्र 36 साल जाति महाजन निवासी मिस्त्री मार्केट टपूकडा जिला खैरथल-तिजारा प्राईवेट व्यक्ति दलाल के मध्य दिनांक 23.09.2025 एंव दिनांक 25.09.2025 रिश्वती मांग सत्यापन के समय रूबरू/मोबाईल पर हुई वार्ताओं के रिकॉर्ड शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डले हुये मैमोरी एसडी कार्ड 16 जीबी सैनडिस्क सहित विभागीय लेपटोप में डैस्कटॉप पर सेव कर उक्त सेव वार्ता को चालू कर टेबिल स्पीकर की मदद से रिकार्ड वार्ताओं को सुना जाकर श्री शहरून कानि0 से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई।उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री अब्बास द्वारा अपनी आवाज व संदिग्ध आरोपिता श्रीमती पूनम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक व आरोपी श्री रिकूं प्राईवेट व्यक्ति दलाल की आवाज की पहचान की गई। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपातंरण श्री शहरून कानि0 से टकंण करवाया गया। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु तीन खाली पैन ड्राईव मंगवायी जाकर तीनों पैन ड्राईव SANDISK ULTRA 16GB खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले 16 जीबी मैमोरी कार्ड से लैपटॉप की सहायता से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बारी-बारी से तीन पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईव की हैष वैल्यू लेपटॉप मे एफटी के इमैजर की सहायता से श्री रवि कुमार कानि0 से हैष वैल्यू निकलवाई जाकर हैष वैल्यू का प्रिटं लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया एंव पैनड्राईव को प्लास्टिक के कवर में रखवाकर प्लास्टिक के कवर सहित प्लास्टिक की छोटी डिब्बी में रखवाकर पैन ड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्क P-4,P-5 व P-6 अंकित किया जाकर मार्क P-4,P-5 को सील्ड मोहर कर गवाहान एवं

परिवादी तथा सबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा तीसरे पैन ड्राईव को कपड़े की थैली मार्क P-6 को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर अनशिल्ड रखा गया । उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डले मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो पैन ड्राईव बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। इसके बाद समय करीब समय 03.35 ए.एम. पर दोनों स्वतन्त्र गवाहन एवं परिवादी परिवादी श्री अब्बास के समक्ष वक्त रिश्वत लेन देन आरोपिता श्रीमती पूनम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक व आरोपी श्री रिकूं प्राईवेट व्यक्ति दलाल तथा परिवादी श्री अब्बास के मध्य रूबरू/मोबाईल पर हुई रिकार्ड वार्तालाप के रिकॉर्ड शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डले हुये मैमोरी कार्ड सहित लेपटॉप के डैस्कटॉप पर सेव कर उक्त सेव वार्ता को चालू कर टेबिल स्पीकर की मदद से रिकार्ड वाताओं को सुना जाकर श्री शहरून कानि0 से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री अब्बास द्वारा अपनी आवाज व संदिग्ध आरोपिता श्रीमती पूनम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक व आरोपी श्री रिकूं प्राईवेट व्यक्ति दलाल की आवाज की पहचान की गई। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपातंरण श्री शहरून कानि0 से टकंण करवाया गया। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु तीन खाली पैन ड्राईव सैनडिस्क अल्ट्रा हमराह लाये ट्रैप बॉक्स से निकलवाकर तीनों पैन ड्राईव SANDISK ULTRA 16 GB खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले 16 जीबी मैमोरी कार्ड से कम्प्यूटर की सहायता से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बारी-बारी से तीन पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईव डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले 16 जीबी मैमोरी कार्ड से लैपटॉप की सहायता से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बारी-बारी से तीन पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईव की हैष वैल्यू लेपटॉप मे एफटी के इमैजर की सहायता से श्री रवि कुमार कानि0 से हैष वैल्यू निकलवाई जाकर हैष वैल्यू का प्रिटं लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पैनड्राईव को प्लास्टिक के कवर सहित प्लास्टिक की छोटी डिब्बी में रखवाकर पैन ड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित दो पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्का P-7, P-8 व P-9 अंकित किया जाकर मार्क P-7, P-8 को सील्ड मोहर कर सबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा तीसरे पैन ड्राईव को कपड़े की थैली मार्क P-9 को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर अनषील्ड रखा गया । डिजिटल वाईस रिकार्डर से 16 जीबी मेमोरी कार्ड निकालकर मेमेरी कार्ड का श्री रवि कुमार कानि0 से हैष वैल्यू लेपटॉप मे एफटी के इमैजर की सहायता से निकलवाई जाकर हैष वैल्यू का प्रिटं लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। एसडी कार्ड को एक प्लास्टि की डिब्बी मे रखकर डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क SD-1 अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डले मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो पैन ड्राईव बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। तत्पश्चात घटना स्थल का नक्षा मौका कषीद कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली किया गया। ट्रेप कार्यवाही के उपयोग में ली गई नमूना ब्राशसील नम्बर-04 को तुडवाकर जरिये फर्द नष्ट करवाया गया। इसके बाद गिरफतार शुदा आरोपी श्री रिंकू प्राईवेट व्यक्ति दलाल का मैडीकल करवाया जाकर परिवादी को बाद कार्यवाही रूखस्त कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री रिंकू व जब्त शुदा आर्टीकल्स, रिश्वती राशी, लैपटॉप प्रिन्टर को हमराह लेकर जरिये सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन के बाद ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना टपूकडा से एसीबी कार्यालय भिवाडी के लिए रवाना होकर समय करीब 09.30 एएम पर मय हमराहीयान के एसीबी कार्यालय भिवाडी पहुंचा। जब्त शुदा समस्त आर्टीकल्स व सील्ड शुदा समस्त शीशीयॅा व जब्त शुदा रिश्वती राशी नम्बरी 30,000/-रूपये व मांग सत्यापन के दौरान प्राप्त की गई रिश्वत राशी 10,000 रूपये को श्री सतीश कुमार हैड कानि0 11 एचएम मालखाना के मार्फत जमा मालखाना एसीबी कार्यालय भिवाडी करवाया गया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री बृजेश कुमार पिंगोलिया सहायक स्थल अभियन्ता व श्री हरि सिंह वरिष्ठ सहायक कार्यालय वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक रीको भिवाडी-ईकाई प्रथम को रूखस्त किया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही से आरोपिया श्रीमती पूनम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय रसद विभाग जिला खैरथल तिजारा एक लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये अपने दलाल श्री रिंकू निवासी टपूकडा से मिलीभगत कर परिवादी श्री अब्बास पुत्र श्री ईसब उम्र 34 वर्ष जाति मेव निवासी ग्राम पलासली, तहसील तिजारा जिला खैरथल तिजारा से उसकी उचित मूल्य दुकान ग्राम पलासली ग्राम पंचायत हसनपुर माफी की जॉच व निरीक्षण रिपोर्ट में परिवादी को काफी घपला होना बताकर उसकी दुकान का लाईसेन्स निलम्बित करने की धमकी देकर लाईसेन्स निलम्बित नही करने की एवज में अपने दलाल श्री रिंकू के मार्फत रिश्वत की मांग करना तथा आरोपी दलाल श्री रिंकू निवासी टपूकडा द्वारा आरोपिया श्रीमती पूनम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक के कहे अनुसार उनके एंव अपने स्वंय के लिए परिवादी से मांग सत्यापन दिनांक 23.09.2025 को 40,000/ रूपये रिश्वत की मांग कर 10,000/रूपये मौके पर ही प्राप्त कर शेष रिश्वत राशी 30,000/रूपयें की और मांग कर नही देने पर मैडम से लाईसेन्स निलम्बित करवाने की धमकी देना एंव अपनी उक्त मांग के अनुशरण में वर वक्त ट्रेप कार्यवाही दिनांक 25.09.2025 को परिवादी से अपनी तय शुदा रिश्वत राशी मांग कर अपने दाहिने हाथ से प्राप्त करना तथा उक्त रिश्वत राशी आरोपी श्री रिंकू के दाहिने हाथ से तथा मांग सत्यापन के

दौरान परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशी आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की पिछे की बॉई जेब से बरामद होना एंव आरोपी के दोनों हाथों की अंगुलियो/अंगुठे के धोवन का रंग गुलाबी होना तथा मौके पर आरोपी दलाल श्री रिंकू की उसके मोबाईल से आरोपिया श्रीमती पूनम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक के मोबाईल पर वाट्सअप कॉल करवाकर रिश्वत राशी प्राप्त करने की आपस में वार्ता करवाने पर आरोपिया श्रीमती पूनम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौन रहना व उसका कोई प्रतिउत्तर नही देना दोनों आरोपीगण की आपस में मिलीभगत का होना स्पष्ट रूप से पाया गया। दोनों आरोपीगण का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोथित 2018) एंव 308(2) बीएनएस में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण श्रीमती पूनम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक, रसद विभाग जिला खैरथल तिजारा व श्री रिंकू पुत्र स्व0 श्री सतीश कुमार उम्र 36 वर्ष जाति महाजन निवासी कस्बा टपूकडा, तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा हाल दलाल के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेषक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (परमेश्वर लाल) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,भिवाडी ....कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 308(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण श्रीमती पूनम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक, रसद विभाग जिला खैरथल तिजारा 2-श्री रिंकू पुत्र स्व0 श्री सतीश कुमार उम्र 36 वर्ष जाति महाजन निवासी कस्बा टपूकडा, तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भिवाडी को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम ----- पर अंकित है। (डॅा. महावीर सिंह राणावत) पुलिस अधीक्षक-मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक -------- दिनांक 26.09.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर, 2. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त खाद्य आपूर्ति विभाग, जयपुर 3. उप महानिरीक्षक पुलिस- प्रथम जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी, पुलिस अधीक्षक- मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Mahendra Kumar Meena **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Singh Ranawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 26/09/2025 21:18:36

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER SINGH

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1988				
2	Male	1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)